Government of India (भारत सरकार)
Ministry of Railways (रेल मंत्रालय)
Railway Board (रेलवे बोर्ड)

RBA No. 74 / 2021

No. 2010/AC-II/21/10/PT.IV

Date: 31.12.2021

General Managers,
All Zonal Railways/Production Units

Sub : - Extension of the time period of submission of life certificate for Central Government pensioners till 28th February 2022 in wake of current Covid-19 pandemic.

Ref:- Board's letter of even no.dated 11.10.2021 and 3.12.2021(RBA 54/2021 and 69/2021 respectively)

A copy of Department of Pension and Pensioners' Welfare (DOPPW) O.M No. No.18/1/2020-P&PW(H)-III-6786 dated 31.12.2021 regarding Extension of the time period of submission of life certificate for Central Government pensioners till 28th February 2022 in wake of current Covid-19 pandemic is enclosed for information and necessary action .

DA:As above.

(Sanjeev Sharma)
OSD/Accounts
Railway Board

Copy to :-
1. PFA and PCPOs of all Zonal Railways/PUs
2. All PSBs paying Railway pension, RBI, DFS

सत्यमेव जयते

सं.18/1/2020-पी&पीडबल्यू (एच)-III-6786

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

8 वीं मंजिल, बी-विंग,
जनपथ भवन, जनपथ,
नई दिल्ली -110001
दिनांक: 31-12-2021

कार्यालय ज्ञापन

विषय : वर्तमान कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए **केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की समयावधि 28 फरवरी 2022 तक बढ़ाने के संबंध में।**

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 1.12.2021 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का संदर्भ देने का निदेश हुआ है, जिसमें केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों द्वारा जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की समय सीमा 31.12.2021 तक बढ़ाई गई थी।

2. विभिन्न राज्यों में कोविड-19 महामारी के फैलाव और कोरोना वायरस से वयोवृद्ध वर्ग के शीघ्र संक्रमित होने की आशंका को ध्यान में देखते हुए, सभी आयु वर्ग के पेंशनभोगियों के जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की मौजूदा समय-सीमा को दिनांक 30/12/2021 से और आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अब, ***सभी केंद्रीय सरकारी पेंशनभोगी अपना जीवन प्रमाणपत्र 28.02.2022 तक प्रस्तुत कर सकते हैं।*** इस विस्तारित अवधि के दौरान, पेंशन संवितरण प्राधिकारियों (पीडीए) द्वारा पेंशन का भुगतान निर्बाध रूप से जारी रखा जाएगा।

3. उपरोक्त उपायों से शाखाओं में भीड से बचने और जीवन प्रमाणपत्र प्राप्त करते समय कोविड -19 के अनुरूप उचित व्यवहार को बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। सभी पेंशन संवितरण प्राधिकारी (पीडीए) अपनी शाखाओं में उचित व्यवस्था बनाए रखें और सामाजिक दूरी के उपायों को भी सुनिश्चित करें तथा यह प्रयास करें कि शाखाओं में कम से कम भीड़ हो।

4. सभी पेंशन संवितरण प्राधिकारियों से अनुरोध है कि वे अनुपालन के लिए इस कार्यालय ज्ञापन का संज्ञान लें और पेंशनभोगियों के बीच इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करें।

5. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(नरेश भारद्वाज)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. : 011-23350020

.....2/-

सेवा में,

1. सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
2. सभी पेंशन संवितरण बैंक के सीएमडी।
3. महालेखा नियंत्रक, महालेखा नियंत्रक भवन, वित्त मंत्रालय, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक ई, आईएनए कॉलोनी, नई दिल्ली, दिल्ली 110023।
4. केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय(सीपीएओ), वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, त्रिकूट -II, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली।
5. सभी पेंशन संवितरण बैंक के सीपीपीसी।
6. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, रेल भवन, नई दिल्ली ।
7. सचिव, रक्षा विभाग, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
8. सचिव, पूर्व-सैनिक कल्याण विभाग, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
9. सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली।
10. सचिव, दूरसंचार विभाग, संचार भवन, नई दिल्ली।
11. सचिव, डाक विभाग, डाक भवन, नई दिल्ली।
12. राज्यों के सभी मुख्य सचिव।
13. सचिव, विदेश मंत्रालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
14. **एनआईसी : - इस विभाग के वेबसाइट पर डालने हेतु ।**

सत्यमेव जयते

No.18/1/2020-P&PW(H)-III-6786

भारत सरकार / Government of India

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय/ Ministry of Personnel Public Grievances and Pensions

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग/ Department of Pension and Pensioners' Welfare

8 वीं मंजिल, बी-विंग,8th Floor, B-Wing,

जनपथ भवन, जनपथ, Janpath Bhawan, Janpath,

नई दिल्ली -110001 /New Delhi-110001

दिनांक/Dated: **31-12-2021.**

OFFICE MEMORANDUM

Sub: ***Extension of the time period of submission of life certificate for Central Government pensioners till 28th February 2022*** in wake of current Covid-19 pandemic - reg.

The undersigned is directed to refer to this Department's OM of even number dated 1.12.2021 on the subject mentioned above, wherein the timeline for submission of life certificate by Central Government pensioners was extended till 31.12.2021.

2. In view of the ongoing Covid-19 pandemic in various states and keeping in view of the vulnerability of elderly population to Corona Virus, it has now been decided to extend the existing timeline of 31.12.2021 for submission of Life Certificate for all age group of pensioners. Now, ***all Central Government pensioners may submit Life Certificate till 28.02.2022.*** During this extended period, the pension will be continued to be paid by the Pension Disbursing Authorities (PDAs) uninterrupted.

3. The above measures are expected to avoid rush at branches and maintain covid-19 appropriate behaviour, while obtaining Life Certificates. PDAs shall also ensure proper arrangements and social distancing measures at the branches and prevent overcrowding.

4. All Pension Disbursing Authorities are requested to take note of this Office Memorandum for compliance and give wide publicity to the same amongst the pensioners.

5. This issues with the approval of the competent authority.

(Naresh Bhardwaj)
Deputy Secretary to the Government of India
Tele: 011-23350020

.....2/-

To,

1. Secretary, D/o of Expenditure, Ministry of Finance, North Block, New Delhi.
2. CMDs of all Pension Disbursing Banks.
3. Controller General of Accounts, Mahalekha Niyantrak Bhawan, Ministry of Finance, GPO Complex, Block E, INA Colony, New Delhi, Delhi 110023.
4. Central Pension Accounts Office (CPAO), Ministry of Finance, Department of Expenditure, Trikoot-II, Bhikaji Cama Place, New Delhi.
5. CPPCs, All Pension Disbursing Banks.
6. Chairman, Railway Board, Ministry of Railways, Rail Bhawan, New Delhi.
7. Secretary, Ministry of Defence, South Block, New Delhi.
8. Secretary, Department of Ex-Servicemen Welfare, South Block, New Delhi.
9. Secretary, Department of Financial Services, Jeevan Deep Building, Sansad Marg, New Delhi.
10. Secretary, Department of Telecommunications, Sanchar Bhavan, New Delhi.
11. Secretary, Department of Posts, Dak Bhavan, New Delhi.
12. All Chief Secretaries of States.
13. Secretary, Ministry of External Affairs, South Block, New Delhi.
14. **NIC: -for posting on website of this Department.**

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

आरबीए सं.74/2021

सं.2010/एसी-।।/21/10/पार्ट-IV **नई दिल्ली, दिनांक: 31.12.2021**

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां

विषय: वर्तमान कोविड-19 वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण-पत्र जमा करने की समयावधि 28 फरवरी 2022 तक बढ़ाने के संबंध में।

संदर्भ: बोर्ड के दिनांक 11.10.2021 और 03.12.2021 (क्रमश: आरबीए 54/2021 और 69/2021) के समसंख्यक पत्र।

वर्तमान कोविड-19 वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण-पत्र जमा करने की समयावधि 28 फरवरी 2022 तक बढ़ाने के संबंध में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 31.12.2021 के कार्यालय ज्ञापन सं.18/1/2021-पी एंड पीडब्ल्यू (एच)-।।।-6786 की प्रतिलिपि सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए संलग्न है।

संलग्नक: यथोक्त।

(संजीव शर्मा)
विशेष कार्य अधिकारी/लेखा
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि:

1. प्रधान वित्त सलाहकार और प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, सभी क्षेत्रीय रेलें और उत्पादन इकाइयां।
2. रेलवे पेंशन का भुगतान करने वाले सभी पीएसबी, आरबीआई, डीएफएस।